संख्या: 501/XIX/खाद्य(रबी खरीद)/2005-06

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल देहरादून

2. जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौड़ी/
देहरादून/नैनीताल/चम्पावत।

3. संभागीय खाद्य नियंत्रक,
कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग।
हल्द्वानी/देहरादून।

4. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तरांचल देहरादून।

5. अपर निबन्धक,
उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2005

विषयः- रबी क्रय विपणन वर्ष 2005-06 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी खरीद वर्ष 2005-06 में राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केवल उत्तरांचल राज्य में उत्पादित गेहूँ का ही क्रय निम्नांकित अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा:-

1. **गेहूँ का मूल्य**

भारत सरकार के पत्रांक 160(1)/2004-पी0वाई0-1, दिनांक 07-12-2004 द्वारा रबी विपणन सत्र 2005-06 के लिए अच्छे औसत किस्म के गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू 640.00 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्तल
गेहूँ	640.00

2. गेहूँ की गुण विनिर्दिष्टयाँ

उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 7–1/2005–एस0एण्ड आई, दिनॉक 11 मार्च, 2005 के अनुसार निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुसार गेहूँ कय किया जायेगा जो परिशिष्ट–6 पर संलग्न है ।

3. कय एजेन्सियों एवं खरीद का लक्ष्य

(क) शासन द्वारा रबी कय योजना वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत गेहूँ कय करने हेतु निम्नलिखित कय एजेन्सियाँ नामित की जाती है। कय एजेन्सियों तथा उनके द्वारा खोले जाने वाले कय केन्द्र तथाएजेन्सियों के लिए निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य निम्न प्रकार है :–

क0सं0	कय एजेन्सी का नाम	केन्द्रो की संख्या	लक्ष्य मी0 टन मे
1.	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)	29	25,000
2.	भारतीय खाद्य निगम	30	30,000
3.	उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ	165	1,40,000
4.	उत्तरांचल ऐग्रो इकाई	05	5,000
	योग:–	229	2,00,000

गेहूँ का कय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 85.00 हजार मी0टन का संग्रहण स्टेट पूल में तथा शेष कय किया जाने वाला गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(ख) उक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य संस्थायें गेहूँ क्रय का कार्य करने में रुचि दिखाती है और आवेदन करती है तो गुण दोष के आधार पर उन संस्थाओं को गेहूँ क्रय कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्र पर लाये गये प्रत्येक कृषक का गेहूँ खरीदा जायेगा, चाहे वह सहकारी समिति का सदस्य हो अथवा न हो। उनके द्वारा ऐसी भी शर्त नहीं लगायी जायेगी कि पहले किसान द्वारा उनके बकाया का भुगतान किया जाये, तभी उनका गेहूँ खरीदा जायेगा।

4. समय सारिणी

रबी विपणन वर्ष 2005–2006 में गेहूँ क्रय हेतु आवश्यक व्यवस्था परिशिष्ट–1 पर संलग्न समय सारिणी के अनुसार विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। तद्नुसार सभी संबंधित यथासमय वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5. जिला खरीद अधिकारी का नामांकन

उत्तरांचल में रबी विपणन सत्र 2005–2006 में गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी एवं सुचारु ढंग से सम्पादित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक "जिला खरीद अधिकारी" नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिला अधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा, जिसे गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने का दायित्व होगा एवं जो विभिन्न क्रय एजेंसियों एवं भण्डारण एजेंसी के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा।

6. **क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थापना** की परिस्थितियों के आधार

जनपद में गेहूँ के उत्पादन एवं विपणन अतिरेक (Marketable Surplus) स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा संभागीय खाद्य नियंत्रक के पर विभिन्न क्षेत्रों में गेहूँ के आवक का आंकलन स्थानीय की मात्रा को ध्यान में रखते हुए ग्रामों के सहयोग से किया जायेगा। किसानों के विपणन योग्य सरप्लस क्रय केन्द्रों से सम्बन्धित ग्रामों की किसानवार सम्बद्धीकरण के आधार पर क्रय केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं क्रय संस्थाये यह सूचियाँ सम्बन्धित संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। क्रय केन्द्र खोलने में यह विशेषकर ध्यान सुनिश्चित करेगी कि गेहूँ खरीद का कार्य किसी भी प्रकार प्रभावित न हो। ऐसी भी स्थिति न देने योग्य है, कि एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक संख्या मे क्रय केन्द्र न खोले जाये। "डिस्ट्रेस सेल" के अवसर उत्पन्न हो कि किसानों को अपने खेतों से बहुत दूर गेहूँ ले जाना पडे क्योंकि इससे 10 कि०मी० की उपलब्ध होंगे। अतः क्रय केन्द्रों के स्थान, निर्धारित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाये कि गेहूँ की अच्छी फसल परिधि मे कम से कम एक क्रय केन्द्र अवश्य खोला जाये। वर्तमान खरीद वर्ष 2005–2006 मे क्रय केन्द्रों की सूची को दृष्टिगत रखते हुए जिले में खरीद कार्य हेतु नामित क्रय एजेंसियों के अधिकारी अपने अन्तर्गत गेहूँ जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एवं शासन की नीति के क्रय केन्द्र खोलना क्रय केन्द्रों के स्थान तय करेंगे। सभी क्रय एजेंसियां जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर खुल जाय तथा सुनिश्चित करेगी। क्रय केन्द्र निर्धारित स्थान पर विलम्बतम 10 अप्रैल, 2005 तक निश्चित रूप से खरीद हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित कर ली जाये।

7. **क्रय एजेंसियों को बोरे उपलब्ध कराना** के लिए बोरों की व्यवस्था खाद्य

(1) भारतीय खाद्य निगम को छोडकर अन्य क्रय संस्थाओं की गेहूँ खरीद बोरे ही प्रयुक्त किये विभाग द्वारा की जायेगी। वर्ष 2005–2006 में केवल 50 कि०ग्रा० भर्ती वाले एस०बी०टी० उपलब्धता बनी रहने की जायेगी। गेहूँ खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्र पर न्यूनतम एक माह बोरों की हर समय भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 40.00 लाख बोरों की आवश्यकता होगी। क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार बोरों की व्यवस्था स्वयं की जायेगी।

(2) उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ, उत्तरांचल ऐग्रो इकाई अथवा शासन द्वारा नामित अन्य क्रय संस्थाओं को अधिकारी की लिखित मांग बोरों की आपूर्ति, संभागीय खाद्य नियंत्रक, द्वारा संबंधित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अनुवर्ती मांग पर बोरे तभी पर प्रारम्भ में अप्रैल माह की आवश्यकता के अनुसार उधार आधार पर की जायगी तथा क्रय एजेंसी द्वारा कर दिया जाय। दिये जायेंगे, जब पूर्व में उधार आधार पर दिये गये बोरों के मूल्य का भुगतान एवं आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्धतानुसार गोदामों से आवंटित बोरों के उठान समन्वयक अधिकारी का होगा। पर सुलभ कराने का दायित्व संबधित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय

8. **गेहूँ खरीद हेतु धन की व्यवस्था एवं कृषकों को भुगतान** मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जितनी मात्रा में गेहूँ की खरीद जायेगी, उस मात्रा के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए अपने द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर की किसानों को भुगतान हेतु धन की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं की जायेगी।

(2) खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों मे क्रय किए जाने वाले गेहूँ के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृत कराई जा रही है कैश क्रेडिट लिमिट से अग्रिम के रूप में धन उपलब्ध कराया जायेगा। यह धन रिवाल्विंग फण्ड के रूप मे रहेगा।

(3) उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ (U.C.M.F) के द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से रिवाल्विंग फण्ड से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। क्रय किए गए गेहूँ को स्टेट पूल अथवा केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान कर नियमानुसार बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) यदि उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ (U.C.M.F) द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट से धन की मांग की जाती है तो उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज अदा करना होगा। ब्याज की शर्तें वही होंगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(5) राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों (खाद्य विभाग एवं उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ तथा उत्तरांचल ऐग्रो इकाई) द्वारा किसानों से क्रय किए गए गेहूँ की डिलीवरी स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल में शीघ्रता से इस प्रकार की जाएगी कि Flow of Funds लगातार बना रहें।

(2) कृषकों से क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान करने में तत्परता सुनिश्चित की जायेगी ताकि किसी प्रकार के विलम्ब से उन्हें असंतोष न रहें। गेहूँ की खरीद सामान्यतः दृष्टि परीक्षण के आधार पर की जाती है। तदनुसार गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूँ खरीद करके, संबंधित अभिलेखों में स्पष्ट प्रविष्टि के उपरान्त कृषकों को, केन्द्र प्रभारी द्वारा गेहूँ के मूल्य का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के लिए बैंकों में " Wheat Purchase Account" के नाम से चालू खाता खोलकर क्रय एजेंसियाँ अपने नियमों के अनुसार काश्तकारों को भुगतान सुनिश्चित करेंगी। उत्पादकों/कृषकों को गेहूँ के मूल्य के रूप में मिलने वाली धनराशि की सुरक्षा की दृष्टि से रूपये 10,000/-(रू0 दस हजार मात्र) तक की धनराशि के चैक आर्डर अंकन तथा रूपये 10,000/ (रू0 दस हजार मात्र) या उससे अधिक के चैक "क्रास्ड" अंकन कर निर्गत किये जायेंगे। यदि कोई छोटा काश्तकार जिसको कुल देय धनराशि रूपये 5,000/-(रू0 पांच हजार मात्र) से अनधिक हो, और वह लिखित रूप से यह अनुरोध करें कि उसे आर्डर चैक न देकर "बेयरर चैक" निर्गत किया जाय तो उसे बेयरर चैक दिया जा सकता है, किन्तु चैक निर्गत करने से पूर्व उसे इस तथ्य की जानकारी दी जाए कि बेयरर चैक से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका भुगतान ले लिये जाने पर, उसकी जिम्मेदारी चैक प्राप्तकर्ता की होगी। सभी क्रय एजेंसियों द्वारा भुगतान से संबंधित उपरोक्त सामान्य अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

9. क्रय केन्द्रों पर सुविधायें

(1) क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व उत्तरांचल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का है। तदनुसार मण्डी समितियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में खोले गये क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुख सुविधा के निमित्त निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये:-

- (क) क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शनार्थ सूचनापट।
- (ख) किसानों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाल्टी, लोटा गिलास मिट्टी के मटके एवं वाटरमैन आदि।
- (ग) बैलगाड़ी, ट्रक, ट्राली आदि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल एवं जानवरों को पानी पिलाने के लिए नॉद एवं पानी की व्यवस्था।
- (घ) कृषकों को बैठने कि लिये तख्त, दरी एवं साया के लिए शैड/शामियाना आदि।
- (च) गेहूँ की सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में दो जाली वाले उपयुक्त किस्म के छलने एवं पंखे।
- (छ) असामयिक वर्षा से कृषकों द्वारा लाये गये गेहूँ की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में तिरपाल/पॉलीथीन शीट आदि।
- (ज) गेहूँ से भरे बोरों की सिलाई हेतु स्टिचिंग मशीन की व्यवस्था।

(2) यदि मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अथवा उसे बाहर स्थित क्रय केन्द्रों पर मण्डी समितियों द्वारा उपरोक्तानुसार सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो मण्डी समिति की ओर से यह व्यवस्था क्रय एजेंसी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी। जिसमें होने वाले व्यय का समायोजन मण्डी शुल्क से निम्नानुसार कर लिया जायेगा:–

क्र0सं0	क्रय केन्द्र पर खरीद मात्रा	अनुमन्य व्यय सीमायें
1	सीजन में 250 मी0टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र	रूपये 5,000/– प्रति केन्द्र
2	सीजन में 251 से 600 मी0टन खरीद वाले क्रय केन्द्र	रूपये 10,000/– प्रति केन्द्र
3	सीजन में 600 मी0टन से अधिक खरीद वाले क्रय केन्द्र	रूपये 15,000/– प्रति केन्द्र

कृषकों को शासनादेशानुसार सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरांचल मण्डी निदेशक द्वारा इस संबंध में अपने विभाग की ओर से मण्डी समितियों को पृथक से भी आदेश निर्गत किये जायेंगे।

10. हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान

(1) क्रय केन्द्रों पर काश्तकारों द्वारा लाये गये गेहूँ की बोरों में भराई, स्टैन्सिलिंग, सिलाई, तुलाई एवं ट्रकों में लोडिंग आदि कार्यो के लिए हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य संबंधित क्रय एजेंसी द्वारा किया जायेगा। ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये ताकि खरीद में कठिनाई न हो।

(2) जहाँ तक हैण्डलिंग ठेकेदारों के लिये पारिश्रमिक दरों का संबंध है, इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन ने निर्णय लिया है कि हैण्डलिंग ठेकेदारों को उनकी सेवाओं के लिए स्थानीय प्रचलित दर पर अथवा निम्नलिखित उच्चतम दरों, जो भी कम हो, के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाये:–

क्र0सं0	मद	प्रति कुन्टल अधिकतम दर (रूपये में)	
		95 कि0ग्रा0	50 कि0ग्रा0
1.	खाद्यान्नों की बोरों में मार्क लगाकर भराई, तुलाई, बॉट तथा माप, सुतली का प्रबन्ध, 16 टाँको की सिलाई	2.00	3.30
2.	भरे बोरों के स्थानीय चट्टे लगाना	0.60	1.00
3.	स्थानीय चट्टे से उठाकर ट्रक पर लदायी	0.60	1.00
4.	भरे बोरों को स्थानीय चट्टे से हटाकर गोदाम/ अहाते में 16 छल्ली तक पक्के चट्टे लगाना तथा पक्के चट्टे से बोरों को उतरवाकर 10 प्रतिशत तौल के उपरान्त ट्रक पर लदायी	0.70	1.20
	योग:–	3.90	6.50

(3) शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि प्रायः हैण्डलिंग ठेकेदार कम दरों पर ठेके लेकर किसानों से अनुचित कटौतियाँ करते हैं, जिससे किसानों का शोषण होता है। ठेकेदारों की इस अनुचित प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से हैण्डलिंग ठेकेदारों को 95 कि0ग्रा0 तथा 50 कि0ग्रा0 भर्ती के बोरों की उपरोक्तानुसार हैण्डलिंग के लिये क्रमशः रूपया 2.00 एवं रूपया 3.30 प्रति कुन्टल से कम दर पर ठेका बिल्कुल न दिया जाये। ऐसे व्यक्तियों

जिनका कार्य खराब पाया जाये और उनकी शिकायतें प्राप्त हुई हों तो गुण-दोष के आधार पर भविष्य में उन्हें ठेकेदार न नियुक्त किया जाये।

(4) हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, जमानत की धनराशि जमा कराने तथा अनुबंध पत्र भरने की कार्यवाही पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-पी0-813/29-खा0-5-5(5)/89 दिनांक 07 अप्रैल, 1989 के अनुसार की जायेगी। **(परिशिष्ट--2)**

11. क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूँ के सम्प्रदान एवं बोरों की व्यवस्था हेतु परिवहन व्यय की दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति

(1) रबी खरीद वर्ष 2005-2006 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी जिसके तहत 85 हजार मी0टन गेहूँ का सम्प्रदान स्टेट पूल में तथा क्रय किये जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था समय से की जानी अपेक्षित है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन दरों में एकरूपता बनाये रखने के लिए ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों को भुगतान के लिए दरों के निर्धारण का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। दरों का निर्धारण करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी,भारतीय खाद्य निगम,लोक निर्माण विभाग,सिंचाई विभाग तथा ट्रान्सपोर्ट यूनियनों से प्रचलित दरें प्राप्त की जायेगी तथा डीजल की दरों में वृद्धि आदि को ध्यान में रखकर खाद्यान्न एवं बोरों के परिवहन हेतु दरों का निर्धारण तथा ट्रकों की व्यवस्था के लिए शासनादेश सं0-पी0-372/29-गेहूँ-1-5(12)/79दिनांक 09 अप्रैल, 1979(**परिशिष्ट--3**)के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सांकेतिक दरों की भाँति प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखकर की जायेगी।

(2) ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को टेण्डर के आधार पर नियुक्त करने में वही मापदण्ड एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो रबी खरीद वर्ष 2004-05 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में अपनायी जाती रही है। अच्छी साख एवं ईमानदारी की साख वाले व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये तथा यथासम्भव खाद्यान्न व्यापारियों को ठेकेदार न नियुक्त किया जाये। यदि अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों में खाद्यान्न व्यापारियों को नियुक्त करना ही पड़े, तो ऐसे व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये, जिनके विरूद्ध कोई शिकायत न हो। ठेकेदारों की नियुक्ति में पुराने, अनुभवी तथा ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाय, जिनके पास अपने ट्रक हों। इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिलाधिकारी एवं संबंधित क्रय एजेंसी का होगा कि ठेकेदार गेहूँ खरीद में बिचौलियों का कार्य न करने पाये।

(3) नियुक्त ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के हस्ताक्षर के नमूने एवं उनके द्वारा परिवहन कार्य में लगाये गये ट्रकों के रजिस्ट्रेशन नम्बर सभी संबंधित क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ठेकेदारों को आदेश दिये जायें कि जब भी वह ट्रकों को राजकीय खाद्यान्न के परिवहन हेतु भेजें तो ट्रक ड्राईवर के हस्ताक्षर को भी अपने पैड पर सत्यापित करके भेजें। ताकि केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सके कि उक्त ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से ही भेजा गया है।

(4) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन की खरीद के अनुपात में ट्रकों की आवश्यकता का आकलन कर अनुबंध पत्र में यह शर्त अवश्य जोड़ी जाये कि न्यूनतम ट्रकों की उपलब्धता नियुक्त ठेकेदार पास हमेशा रहेगी। यह भी ध्यान रखा जाये कि ठेकेदार से अनुबंध पत्र भराने के बाद ही कार्य कराना प्रारम्भ किया जाये।

(5) ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार से रूपये 15,000/- की नकद जमानत एवं क्रय केन्द्र पर (जिस वर्ष अधिकतम खरीद हुई थी के आधार पर) अधिकतम 10 दिन की खरीद मात्रा के मूल्य की दस प्रतिशत धनराशि के बराबर फिडिलिटि गारन्टी बान्ड राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिया जाय। यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबन्ध तथा जमानत पर स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प एक्ट की अनुसूची में निर्धारित दर के अनुसार लगेगा, जो ट्रांसपोर्ट ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन केन्द्रों पर खरीद की मात्रा कम होने के कारण परिवहन कार्य को सम्पन्न

करने में कठिनाई हो रही हो तो वहाँ संबंधित जिलाधिकारी/संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने विवेक से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए जमानत की धनराशि न्यूनतम रूपये 5,000/-तक रख सकते हैं, परन्तु जमानत कम करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्यवाही में शासन को कोई हानि न हो। यदि ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार से गेहूँ के संचरण में कोई क्षति होती है तो उससे इस क्षति के मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य की धनराशि के बराबर क्षतिपूर्ति करायी जायेगी। इस शर्त को भी अनुबन्ध पत्र में रखा जायेगा। ऐसे सभी मामलों का विवरण सम्बंधित क्रय एजेंसी के वित्त नियन्त्रक एवं विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा।

(6) उपर्युक्त विवरण केअनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों की नियुक्ति तथा उनके अनुबन्ध भराने आदि की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित कर ली जाये।

12. क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले कॉटा-बॉट का सत्यापन

क्रय केन्द्रों पर प्रयोग के लिये रखे गये बॉट तथा माप का सत्यापन समय समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा किया जायेगा। संबंधित विधिक बाट माप निरीक्षक 10 अप्रैल से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि गेहूँ क्रय योजना 2005-06 में स्थापित होने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले कॉटा-बॉट का सत्यापन/मानकीकरण/मुद्रांकन कर दिया जाए। साथ ही समस्त क्रय एजेंसियाँ यह भी ध्यान रखेंगी कि क्रय केन्द्रों पर सही बाट तथा कॉटे का प्रयोग हो। किसी भी दशा में ईंट, पत्थर अथवा इस प्रकार के मानक बॉटों से भिन्न किसी भी वस्तु का प्रयोग बॉट के रूप में तौल हेतु न किया जाय। किसी भी दशा में घटतौली तथा बढ़तौली की शिकायत न होने पाये।

13. क्रय केन्द्रों हेतु भूमि का किराया

यदि किसी क्रय एजेंसी को क्रय हेतु भूमि किराये पर लेनी पड़ती है तो किराया भुगतान उसके द्वारा अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से किया जायेगा, इसके लिए शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी। भूमि का किराया एकरूपता तथा मितव्ययिता की दृष्टि से जिलाधिकारी द्वारा प्रति वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की दर अधिकतम होगी।

14. क्रय अवधि

10 अप्रैल, 2004 से मण्डी में गेहूँ की आवक होने के साथ ही समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और यह क्रय अवधि 30 जून 2004 तक रहेगी। मितव्ययता की दृष्टि से और कम आवक के कारण यदि कोई क्रय केन्द्र बन्द करने की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी ऐसे क्रय केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय स्वविवेकानुसार ले सकते हैं। सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 07 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खुले रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर क्रय समय की वृद्धि की जा सकती हैं। रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों में भी क्रय केन्द्र नियमित रूप से खुले रहेंगे।

15. स्टेट पूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ की संचरण व्यवस्था

गढ़वाल संभाग में गेहूँ की खरीद अपेक्षाकृत कुमायूँ संभाग के सापेक्ष नगण्य होने एवं गढ़वाल संभाग की विभिन्न योजनाओं में गेहूँ की केन्द्रवार आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूँ संभाग/गढ़वाल संभाग में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ तथा उत्तरांचल ऐग्रो इकाई द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ का संचरण प्रोग्राम परिशिष्ट-7 के अनुसार कुमायूँ संभाग/गढ़वाल संभाग के गेहूँ क्रय केन्द्रो से सीधे स्टेटपूल गोदामों हेतु किया जायेगा,ताकि विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत कुमायूँ संभाग के साथ-साथ गढ़वाल संभाग में भी आवंटन के अनुरूप गेहूँ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय भण्डारण निगम, श्रीनगर

हेतु गेहूँ की आपूर्ति कालसी की भाँति ऋषिकेश केन्द्र से की जायेगी। संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने-अपने संभाग में भण्डारण ऐजेन्सियों की आरक्षित संग्रहण क्षमता के पूर्ण उपयोग के साथ-साथ अन्तर-संभाग (inter-regional) गेहूँ का ऐसा संचरण/भण्डारण करायेंगे कि आन्तरिक गोदामों को गेहूँ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

16. क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख-रखाव

प्रत्येक क्रय एजेंसी द्वारा क्रय केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेंगे।

1. आवक-क्रम एवं टोकन रजिस्टर
2. पर्ची काश्तकार
3. क्रय पंजिका
4. स्टाक रजिस्टर
5. रिजेक्शन रजिस्टर
6. निरीक्षण पंजिका
7. बैंक लेखा पंजी/चैक बुक/निर्गत चैकों की विवरण पंजिका
8. मूवमेन्ट चालान बुक
9. शासनादेश की पत्रावली
10. खरीद एवं सम्प्रदान के दैनिक विवरण पत्रों की पत्रावली
11. शिकायत पुस्तिका

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका तथा शिकायत पंजिका दिखाई जायेगी।

17. खरीद प्रकिया

(1) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ सीधे किसानों से क्रय किया जायेगा। किसी बिचौलिये/व्यापारी द्वारा लाया गया गेहूँ किसी भी दशा में क्रय नहीं किया जायेगा। यह पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है और पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर गेहूँ लाने वाले प्रत्येक किसान का गेहूँ खरीदा जायेगा चाहे वह उस संस्था/समिति का सदस्य हो अथवा नहीं। सहकारी संस्थाओं द्वारा ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जायेगी कि किसान पहले उनके बकाया का भुगतान करें, तभी उनका गेहूँ खरीदा जायेगा।

(2) राज्य के सूचना विभाग एवं मण्डी परिषद द्वारा क्रय योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। सम्बन्धित मण्डी समितियाँ भी इस आशय का प्रचार करेंगी कि किसान अपना गेहूँ साफ कर एवं सुखा कर क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु लायें, ताकि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो सके। यदि कृषक द्वारा साफ गेहूँ नहीं लाया जाता है तो उसे क्रय करने से पूर्व दो जाली वाले छलने से भली प्रकार अनिवार्यतः साफ कराकर ही क्रय किया जायेगा। आवश्यकतानुसार गेहूँ की सफाई हेतु क्रय केन्द्रों पर पंखों की भी व्यवस्था की जाये। यदि किसी कृषक द्वारा स्वयं गेहूँ साफ न करके, गेहूँ की सफाई का कार्य हैण्डलिंग ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता है तो काश्तकार से मण्डी समिति द्वारा इस कार्य हेतु निर्धारित दर से सफाई का मूल्य उसके भुगतान के समायोजन द्वारा लिया जायेगा। किसी भी दशा में क्रय केन्द्र पर नकद धनराशि नहीं ली जायेगी।

(3) क्रय केन्द्र पर निर्धारित गुण–निर्दिष्टयों का ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। गुण–निर्दिष्टयों के अनुसार अच्छे औसत दर्जे के गेहूँ का एक नमूना सील कर क्रय केन्द्र में पारदर्शी जार में रखा जायेगा, जो कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं माननीय जन प्रतिनिधियों को प्रदर्शित कराया जायेगा। यह नमूना क्रय केन्द्र पर ऐसे स्थान पर रखा जायेगा ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। सैम्पल जार पर बड़े अक्षरों में "प्रतिनिधि नमूना" लिखा होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय किये गये गेहूँ की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी क्रयकर्ता एजेन्सी की होगी। स्टेट पूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कमी पाई जाती है तो उसके लिए संबंधित क्रयकर्ता कर्मचारी तथा क्रय एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।

(4) सामान्यतः एक दिन में एक कॉंटे में 1,000 बोरे अर्थात 500 कुन्तल से अधिक की तुलाई नहीं हो सकेगी। क्रय एजेन्सी के प्रभारी प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस (Marketable surplus) के आधार पर कांटों की संख्या का निर्धारण कर लेंगे। कांटो की संख्या निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जायगा कि इनको देखने के लिए स्टाफ पर्याप्त हो तथा क्रय अवधि अनावश्यक रूप से अधिक न हो जॉय।

(5) जैसे ही क्रय केन्द्र पर किसान अपने गेहूँ का नमूना लेकर आता है केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी जाँच की जायगी। केन्द्र प्रभारी के पास उपलब्ध ग्रामवार सूचियों में किसान का नाम तथा उसके पास उपलब्ध मात्रा देखकर उसका नाम पंजिका में अंकित कर लिया जायेगा और किसान को गेहूँ लाने के लिए एक तिथि दे दी जायेगी। निर्धारित तिथि को गेहूँ लाने पर किसान का गेहूँ क्रय कर लिया जायेगा। सूची में अंकित किसानों के विपणन योग्य सरप्लस से यदि वास्तविक मात्रा में कुछ विचलन है तो 10 प्रतिशत तक विचलन (धनात्मक/ऋणात्मक) स्वीकार कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाय कि किसानों को अनावश्यक रूप से क्रय केन्द्रों पर रूकना न पड़े।

(6) गेहूँ की बोरों में भराई, सिलाई तथा सटैंलिसिंग के संबंध में निम्न व्यवस्था रहेगी –

(क) बोरों में 50 किग्रा0 गेहूँ की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी।

(ख) बोरों की सिलाई मशीन अथवा 16 टांको से मजबूत सुतली से की जायेगी।

(ग) प्रत्येक बोरे पर भराई की तिथि, भरते समय का वजन, क्रय केन्द्रो का नाम एवं जनपद/क्रय एजेन्सी/क्रय केन्द्र का कोड नम्बर अंकित होगा।

कोड नं0 निम्न प्रकार होंगे : -

(अ)	क्रय एजेन्सी का नाम	कोड नम्बर
1.	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)	01
2.	भारतीय खाद्य निगम	02
3.	उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ	03
4.	उत्तरांचल ऐग्रो इकाई	04

(ब)	जनपद का नाम	कोड नम्बर
1.	देहरादून	001
2.	पौड़ी	002
3.	हरिद्वार	003
4.	नैनीताल	004
5.	ऊधमसिंह नगर	005

6. चम्पावत 006

क्रय केन्द्रों के कोड क्रय एजेन्सियों द्वारा निर्धारित कर जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, भारतीय खाद्य निगम एवं शासन को दिनांक 10 अप्रैल, 2004 से पूर्व सूचित किये जायेंगे।

(घ) बोरों की स्टैंसिलिंग पठनीय तथा चटख रंग से की जायेगी।

(च) स्टैंसिलिंग के निमित्त खाद्य विभाग (विपणन शाखा) द्वारा लाल रंग, भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरा रंग तथा उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ द्वारा काला रंग एवं उत्तरांचल एग्रो इकाई द्वारा नीला रंग प्रयोग में लाया जायेगा।

उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टैंसिलिंग व सफाई न करने पर क्रय एजेन्सियाँ ठेकेदार से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियाँ करेंगी :-

क्र0सं0	विवरण	कटौती की दर
1.	खराब सिलाई 16 टाँकों से कम	रू0 0.10 पैसे प्रति बोरा
2.	स्टैंसिलिंग न करना/खराब करना	रू0 0.15 पैसे प्रति बोरा
3.	गेहूँ मे जीवित घुन पाया जाना (फ्यूमिगेशन चार्जेज)	रू0 0.50 पैसे प्रति बोरा

(6) यदि क्रय केन्द्र पर किसी कारण किसान का गेहूँ अस्वीकृत किया जाता है तो रिजेक्शन रजिस्टर मे कृषक का नाम, उसका पूरा पता, लाये गये गेहूँ की मात्रा, अस्वीकृत किये गये गेहूँ की मात्रा तथा अस्वीकार किये जाने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण, अस्वीकार करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जायेगा। इस कारण की सूचना कृषक को भी दी जायेगी। यह रिजेक्शन रजिस्टर मांग किये जाने पर संबंधित कृषक, माननीय जन प्रतिनिधिगण तथा निरीक्षकर्ता अधिकारियों को दिखाया जायेगा।

(7) क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये तथा सम्प्रदान हेतु अवशेष गेहूँ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संबंधित क्रय एजेन्सियों का होगा। सुरक्षा के लिए सभी वांछित उपाय क्रय एजेन्सी करेंगी। इस पर होने वाला व्यय अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से ही वहन किया जायेगा तथा शासन/भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस मद में अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

18. भारतीय खाद्य निगम को क्रय किये गये गेहूँ का सम्प्रदान

(1) गेहूँ का क्रय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 85.00 हजार मी0टन का सम्प्रदान/संग्रहण स्टेट पूल में तथा क्रय किया जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(2) क्रय केन्द्र से स्टेट पूल डिपोज/भारतीय खाद्य निगम के डिपो तक गेहूँ की ढुलाई संबंधित क्रय एजेन्सियों द्वारा कराई जायेगी।

(3) जिला प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय केन्द्रों को डिपो डिलीवरी बिन्दुओं से सम्बद्ध करने कि लिए मूवमेन्ट प्लान उपलब्ध कराया जायेगा। खरीदा गया गेहूँ क्रय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से जमा न हो, इसके लिये आवश्यक है कि गेहूँ का संचरन खरीद केन्द्रों द्वारा खरीद के दिन से ही प्रारम्भ किया जाये।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ के सम्प्रदान/संग्रह हेतु क्रय केन्द्रों को स्टेट पूल से संबद्ध करने हेतु संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मूवमेन्ट प्लान तैयार किया जायेगा।

[illegible]

19.10 [illegible] के आधार पर [illegible] किया जाना सुनिश्चित किया जाय

[illegible]

(अ) भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक

(ब) सम्बन्धित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी

(स) उप सम्भागीय विपणन अधिकारी

20. खाद्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना

[illegible] रहे सरकार को प्रेषित की जाया करेगी।

21. गेहूँ क्रय कार्य का अनुश्रवण

[illegible]

[illegible] रूप से प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

[illegible]

22 क्रय केन्द्रों का निरीक्षण

[illegible]

[illegible] क्रय केन्द्रों [illegible] उल्लेख किया जायेगा।

[illegible]

[illegible] 4408 में [illegible] पृथक से किया जायेगा।

[illegible]

हस्ताक्षरित हो जाने की प्रत्याशा में [illegible] गेहूँ खरीद नीति जारी की जा रही है।

[illegible]

खरीद की प्रभावी व्यवस्था की जाये।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

डी०सी० शर्मा,

सचिव

संख्या 501 (1)/गेहूँ-खरीद/2005-06 तद्दिनाँक,

प्रतिलिपि निम्न [illegible]

1 [illegible]

2 प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।

3 सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तरांचल शासन।

4 मण्डलायुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल।

5 [illegible]

6 [illegible]

विभाग कृषि भवन,नई दिल्ली।

7 स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।

8 [illegible]

जिला प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम देहरादून एवं हल्द्वानी।

निबन्धक सहकारिता उत्तरांचल देहरादून।

सम्भागीय लेखाधिकारी खाद्य कुमायूँ एवं गढ़वाल सम्भाग,

सम्भागीय लेखाधिकारी खाद्य कुमायूँ एवं गढ़वाल सम्भाग,

समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी उत्तरांचल,

सहायक निदेशक विधिक माप विज्ञान उत्तरांचल देहरादून।

एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।

आज्ञा से

(हस्ताक्षर)

([illegible])

अपर सचिव।

गेहूँ खरीद वर्ष 2003-04 में व्यवस्था हेतु समय सारणी

क0सं0	अपेक्षित कार्य	अनुमानित अवधि	अन्तिम तिथि	अधिकारी / विभाग जिसे कार्यवाही करनी है।
1	2	3	4	5
	[illegible]		[illegible]	[illegible] एजेन्सियों द्वारा
	[illegible] अन्तिम रूप देना [illegible] स्टाक आदि		[illegible]	[illegible]
	[illegible] के			निगम / सम्भागीय खाद्य नियंत्रक
7	हैण्डलिंग व ट्रांसपोर्ट ठेकेदारी की नियुक्ति		8.4.2005	क्रय एजेंसी
8	क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थायें		9.4.2005	क्रय एजेंसी
	(क) धन			क्रय एजेंसी
	(ख) भुगतान की प्रक्रिया			क्रय एजेंसी
	(ग) बोरों की व्यवस्था			क्रय एजेंसी
	(घ) स्टाफ			क्रय एजेंसी
	(ङ) अन्य सुविधायें			मण्डी समिति
				क्रय एजेंसी
	[illegible]		[illegible]	निगम / सम्भागीय खाद्य नियंत्रक
	[illegible]		10 अप्रैल से	क्रय एजेंसी

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत दिनांक ____________ तक का विवरण

(आंकड़े मी0टन में)

अ–

क्रमांक	क्रय संस्था का नाम	प्रगतिशील खरीद	प्रगतिशील निकासी (मी0टन में)		
			से0पूल	भा0खा0नि0 को	योग
1	2	3	4	5	6
1	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)				
2	सहकारिता विभाग,उत्तरांचल				
3	भारतीय खाद्य निगम				
4	उत्तरांचल एग्रो इकाई				
	कुल योग				

ब– गेहूँ की प्रगतिशील आवक ______________________

स– प्रचलित बाजार दर (प्रति कुन्टल) ______________________ 1 न्यूनतम

2 अधिकतम

जिला खरीद अधिकारी

जनपद ____________

परिशिष्ट-7

रबी योजनान्तर्गत 2005-06 में कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग में विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का संचरण

(मात्रा मी०टन में)

क्र0 सं0	सम्भाग का नाम	क्रय संस्था का नाम	विकासखण्ड का नाम	केन्द्रों की वार्षिक आवश्यकता	विकास खण्ड से सम्बद्ध प्राप्ति केन्द्र	प्राप्ति केन्द्र से सम्बन्ध जनप[illegible]
1	गढ़वाल सम्भाग	F.C.I., खाद्य विभाग एवं एग्रो इकाई	[illegible]	4627.00	[illegible] SWC	[illegible]
			[illegible]	3153.00	[illegible] CWC [illegible]	[illegible]
			[illegible]	3173.00	कोटद्वार SWC	पौड़ी गढ़वाल
		तदैव	[illegible]	9097.00	[illegible]	[illegible]
				4280.00	[illegible] CWC [illegible]	[illegible]
			[illegible]	3173.00	[illegible] SWC [illegible]	[illegible]
		तदैव	[illegible]	12450.00	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	तदैव	[illegible]	16772.00	[illegible]	पिथौरागढ़/चम्पावत/[illegible]
		तदैव	[illegible]	1100.00	[illegible] CWC	[illegible]
		तदैव	[illegible]	1362.00	[illegible] SWC	[illegible]
		तदैव	[illegible]	5335.00	[illegible]	[illegible]
		तदैव	[illegible]	7098.00	[illegible] SWC	[illegible]
		तदैव	[illegible]	4381.00	[illegible] SWC	[illegible]
		तदैव	[illegible]	942.00	[illegible] SWC [illegible]	[illegible]
		तदैव	[illegible]	361.00	[illegible] SWC	[illegible]
		तदैव	[illegible]	331.00	[illegible] SWC [illegible]	[illegible]
		तदैव	[illegible]	2716.00	[illegible] CWC SWC	[illegible]
		तदैव	[illegible]	641.00	[illegible] CWC	[illegible]

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।

MOST IMMEDIATE

No.160 (1/2004-PY.I

Government of India

Ministry of Consumer [illegible]

Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi

Dated the 7th December, 2004

1. The Secretary
   Food & Civil Supplies Department
   All State Governments/UT Administrations

2. Managing Director
   Food Corporation of India
   16-20, Barakhamba Lane
   New Delhi

Subject: [illegible] in 2005-06 – Fixation of Minimum Support Price (MSP)

Sir/Madam,

[illegible] 2005-06 as under

[illegible]	[illegible] Rs. per quintal
Wheat	640
[illegible]	[illegible]

Yours faithfully

[illegible]

(ASHESH AGARWAL)

DIRECTOR (P)

[illegible]

Copy to:

Executive Director (Commercial), FCI Hqrs, New Delhi
Executive Director (Procurement), FCI Hqrs, New Delhi
[illegible]
[illegible]
Delhi

<u>Department of Food & Public Distribution</u>

4 PS to Minister (CAF&PD)
5 PS to MOS (F& PD)
6 AS & FA/JS (BP&PD)/JS (Storage)
7 [illegible]
8 Joint Commissioner (S&R
9 US (PY)/ US (PY III)/US (Fin)
10 SO, FC (A/cs) Section
11 Control Room

[illegible]

(ASHISH AGARWAL)
DIRECTOR (I)
Tele 2338 [illegible]

No 7 1/2005 -S&I
Government of India,
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
*****

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 11th March 2005

To

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of Attached (All State Governments/UT Administration)

Sub: Uniform Specifications for Wheat and Barley for the Rabi Marketing Season 2005 – 2006.

Sir,

The Uniform Specifications decided by the Government for procurement of Wheat and Barley stocks for the Central Pool during Rabi Marketing Season 2005 – 2006 is forwarded herewith.

It is requested that the procurement of Wheat and Barley stocks by all procuring agencies be ensured strictly in accordance with these specifications. It is also requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that the farmers get due price for their produce and rejection of stocks is avoided. The farmers may also be advised to offer only dry and clean stocks. Procurement of stocks having moisture content more than 12 % and infestation be discouraged.

Receipt of this communication may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(S. K. Srivastava)
Joint Commissioner (S&R)
Tele # 23387334

Encl : As above

Copy to

1. The Chairman, FCI, New Delhi
2. The managing Director, FCI, New Delhi
3. Executive Director (Commercial), FCI, New Delhi
4. Manager (QC), FCI, New Delhi
5. Manager (Marketing & Procurement), FCI, New Delhi
6. All Zonal Managers, FCI
7. The Managing Director, CWC, New Delhi
8. The Secretary to the Government of India, Department of Agriculture & Cooperation Krishi Bhawan, New Delhi
9. Senior PPS to Secretary (F & PD)/ PPS to AS & FA/ JS (P & FC)/ JS (Stg.)/ JS (BP & PD)/JS (Impex & EOP)
10. Director (P)/Director (FC)/ DS (PD)/ Director (Finance)
11. All SGC, IGMRI, QCC offices
12. US (BP-I)/ US (BP-II)/ US (Py I, II, IV)
13. DC (S&R), DD (S), DD (FC), DD (SGC), DD (QCC), AD [illegible] AD (S), AD (QC) (I, II, III)/ AD (SGC)
14. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website

(B. C. Joshi)
Deputy Director (S&R)
Tele # 23384398

UNIFORM SPECIFICATION FOR INDIAN WHEAT OF ALL VARIETIES

FOR RABI MARKETING SEASON 2005 -2006

Wheat shall:

a) be the dried mature grains of *Triticum vulgare*, *T. compactum*, *T. sphaerococcum*, *T. durum*, *T. aestivum* and *T. dicoccum*.

b) have natural size, shape, colour and lustre.

c) be sweet, clean, wholesome and free from moulds, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances including toxic weed seeds and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.

d) be in sound merchantable condition.

e) not have any admixture of *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, pesticides, and any obnoxious, deleterious and toxic material.

f) Conform to PFA Rules.

Schedule showing the maximum permissible limits of different Refractions in Fair Average Quality of Wheat

Foreign Matter %	Other Food Grains %	Damaged grains %	Slightly damaged grains %	Shrivelled & Broken grains %
0.75	2.00	2.00	6.00	7.00

NOTE:

1. Moisture in excess of 12% and upto 14% will be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.

2. Within the overall limit specified for foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.4% of which Dhatura and Akra (*Vicia species*) shall not be more than 0.025% and 0.2% by weight respectively.

3. Kernels with glumes will not be treated as unsound grains during physical analysis, the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.

....2/-

4. Within the overall limit specified for damaged grains, ergot affected grains shall not exceed 0.05%.

5. In case of stocks having living infestation, a cut at the rate of Rupee one per quintal may be charged as fumigation charges.

6. For weevilled grains determined by count, following price cuts will be imposed.
i) from the beginning of the season till end of August the rate of cut will be @ Rs. 1/- per qtl., for every 1% or part thereof.
ii) from 1st September till end of October, no cut will be imposed upto 1% while for any excess, the cut will be @ Rs. 1/- per qtl., for every 1% or part thereof.
iii) from 1st November till end of the season no cut will be imposed upto 2% while for any excess the cut will be @ Rs. 1/- per qtl., for every 1% or part thereof.
iv) stocks containing weevilled grains in excess of 3% will be rejected.

Method of Analysis

As given in Bureau of Indian Standard No. IS 4333 (Part I and II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

Definition of Refractions: As contained in BIS Specifications No. 2813-1995

UNIFORM SPECIFICATION FOR BARLEY FOR RABI MARKETING SEASON 2005 -2006

Barley shall:

a) be the dried mature grains of Hordeum vulgare.
b) have uniform size, shape and colour.
c) be sweet, clean, wholesome and free from moulds, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.
d) be in sound merchantable condition.
e) not have any admixture of Argemone mexicana and Lathyrus sativus (khesari) in any form, colouring matter, pesticide, and any obnoxious and toxic material.
f) Conform to PFA Rules.

Schedule showing maximum permissible limits of different Refractions in Fair Average Quality of Barley.

Foreign matter %	Other food grains %	Damaged grains %	Slightly damaged & touched grains %	Immature & Shrivelled grains %
0.75	5.00	3.00	8.00	8.00

N.B.

1. Within the overall limits of foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.5%, of which Dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2 % by weight respectively.
2. Moisture in excess of 12% and upto 14% is to be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.

...2/-

3 For weevilled grains following price cuts will be imposed:

i) from the beginning of the season till the end of August the rate of cut will be @ Rs. 1/- per qtl. for every 1% or part thereof.

ii) from Ist September till the end of October, no cut will be imposed upto 1% while for any excess , the cut will be @ Rs. 1/- per qtl. for every 1% or part thereof.

iii) from Ist November till end of the season, no cut will be imposed upto 2% while for any excess, the cut will be @ Rs.1/- per qtl. for every 1% or part thereof.

iv) stocks containing weevilled grains in excess of 3% will be rejected.

4 In case of stocks having living infestation a cut at the rate of Rs 1/- per quintal may be charged as fumigation charges.

Method of Analysis

As given in Bureau of Indian Standard No. IS: 4333 (Part I & II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains that are to be determined by count method.

DEFINITIONS OF REFRACTIONS: As contained in BIS Specifications No. 2813-1995